तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकासमा का है जिसका निर्धारण विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर ही किया जाना है। अतः प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि –	
	आदेश	
	तहसीलदार खण्डेला ग्राम दायरा प० ह० दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 1836 का विवादित पक्षकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका निरीक्षण कर वर्तमान हक हिस्सा, बाहमी बंटवारा व "बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस" के सिद्धान्त के आधार पर पृथक-पृथक लगान कायम कर, मिन बट्टा नम्बर डालकर नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी ~~ईजलास~~ तारीख पेशी दिनांक 18-11-2020 से पूर्व न्यायालय हाजा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वास्ते पेश होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 18-11-2020 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	
29/01/2021	वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली ईजलासी पेशी दिनांक 28-4-2021 से तलब की जाकर आज पेश हुई। तहसीलदार खण्डेला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव को अभिलेख पर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गयी। दरखास्त बहस: वकील वादी ने मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकासमा का है और तहसीलदार खण्डेला से प्रा० डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम रूपेण डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29-1-2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(राकेश कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned with CamScanner